

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए,जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

178- माण्डल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री उदयलाल भडाणा (नाम)

46, सुथारो का मौहल्ला पालडी तहसील व जिला- भीलवाड़ा (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/ की गई हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन- क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भीलवाड़ा

दिनांक 03-12-2023



(हुकमीचंद रोहलानिया)

रिटर्निंग अधिकारी

रिटर्निंग अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
178 माण्डल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** state from the 178-MANDAL Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that-

Shri **UDAI LAL BHADANA** (Name)

46, SUTHARO KA MOHALLA PALDI TEHSIL AND DISTRICT-
BHILWARA (Address)

Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognized/ registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Govt. Polytechnic College Bhilwara

Dated 03-12-2023



Hukmichand Rohalaniya

Returning Officer

उपखण्ड अधिकारी
178-Mandala

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
178 माण्डल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र